## न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क.-457 / 12 संस्थित दिनांक- 20.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

अभियोजन

## विरुद्ध

- 1. जबरा लोधी पुत्र मन्ते लोधी उम्र 44 साल
- गुड्डी बाई पत्नी जबरा लोधी उम्र 40 साल निवासीगण ग्राम हसारी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 324 के आरोप है कि उसने दिनांक—17.10.2012 को समय 11:00 बजे ग्राम हसारी में फरियादी का खेत में फरियादिया अवधबाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालो को क्षोभ कारित कर फरियादिया अवध बाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से एवं लाठी जो कि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2012 दोपहर 11:00 बजे फिरयादियां खेरे से भुसा भरकर लाई, भूसा इकटठा कर रही थी, तभी जबरा, रामकुमार और गुडडी बाई बोले खिलहान में भुसा मत डालो, टैक्टर निकलना हैं। फिरयादियां अवधबाई ने कहा कि खेरा शामलाती हैं, मेरा भी हिस्सा हैं, तो उसी हिस्से में खाली कर रही हूं। तो तीनों ने गाली दी, अवधबाई ने गाली देने से मना किया तो जबरा ने डण्डा मारा दिया जो माथे पर लगा, दूसरा डण्डा सिर में लगा, चोट होकर खून निकलने लगा। गुडडी बाई ने धक्का देकर गिरा दिया, रामकुमार ने थप्पड मारें जो पीठ में छाती में लगे और मुंदी चोट आई। मोके पर अशोक और खिलन थे जिन्होने घटना देखी। फिरयादियां अवध बाई ने घटना

दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—653/17 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादियां अवधबाई का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादियां अवध बाई को धारदार हथियार से उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक—342/2012 अंतर्गत भा0दं0वि0 धारा—324, 323, 504, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.10.2012 को समय 11:00 बजे ग्राम हसारी में फरियादिया अवध बाई को उपहित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार वस्तु से एवं लाठी जो कि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया अवधबाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण की आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। फिरयादी अवधबाई (अ०सा०—1) का अपने कथनों में यह कहना है कि अभियुक्तगण उसके देवर देवरानी है। इस साक्षी के अनुसार दो साल पूर्व आरोपीगण ने दिन के 11:00 बजे उनका टैक्टर को खिलहान में अंदर नहीं आने दे रहे थे जो शामलाती था और जब स्वयं फिरयादी अवधबाई (अ०सा०—1) ने खिलहान में लगा बांस का गेट टैक्टर ले जाने के लिये खोला तो आरोपीगण ने उसे गेट नहीं खोलने दिया था और अभियुक्त जबरा ने उसके सिर में कुल्हाडी मार दी तथा अभियुक्त गुडडी बाई ने उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। फिरयादी अवधबाई (अ०सा०—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में यह स्पष्ट किया है कि जिस टैक्टर को वह खिलहान में लेकर जा रही थी, उसे अशोक (अ०सा0—2) चला रहा था तथा घटना के समय अशोक (अ०सा0—2) के अलावा मौके पर और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।
- 06— अशोक (अ०सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह दो साल पहले को चंद्रभान (अ०सा0—3) के कहने पर टैक्टर लेकर आया था, जिसे चंद्रभान (अ०सा0—3) ने खिलहान में लगाकर उसे खाली करने का कहा था। अशोक (अ०सा0—2) का कहना है कि चंद्रभान के निकल जाने के बाद वह स्वयं अवध बाई (अ०सा0—1) टैक्टर खिलहान में लेकर पहुचे थे और जब टैक्टर ले जाने के लिये खिलहान का गेट अवध बाई ने खोला तो अभियुक्त जबरा ने उनका टैक्टर रोक लिया था। जिस पर उसने नीचे आकर अभियुक्त जबरा से कहा था कि टैक्टर किराये का है। अशोक (अ०सा0—2) के अनुसार अभियुक्तगण और फिरयादिया के बीच इसके बाद वातावरण हो गया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्पष्ट किया है कि घटना कि तारीख भले उसे याद न हो, परन्तु घटना दिन के 11:00 बजे की थी।
- 07— फरियादिया अवधबाई (अ०सा०—1) का आरोपीगण से विवाद कथन देने की दिनांक से दो वर्ष पूर्व दिन में 11:00 बजे शामलाती खिलहान में टैक्टर ले जाने पर से हुआ था तथा आरोपीगण ने अवधबाई (अ०सा०—1) को खिलहान में टैक्टर ले जाने से रोका था, जिसके बाद विवाद हुआ था, इस संबंध में फरियादी अवधबाई (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत रहे है तथा फरियादी अवध बाई (अ०सा०—1) के द्वारा

दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी—1 से भी होती है, जो कि रामगोंविद असा 6 के द्वारा फरियादी के कहे अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया गया है। घटना के स्वतंत्र साक्षी अशोक (अ0सा0—2) जो कि फरियादी के अनुसार टैक्टर चला रहा था, ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को वह स्वयं अवधबाई के साथ टैक्टर पर था तथा वह शामलाती खलिहान में टैक्टर ले जा रहे थे और खलिहान का गेट टैक्टर ले जाने पर खोलने पर आरोपीगण ने अवध बाई (अ0सा0—1) के साथ मौके पर विवाद किया था।

- 08— अशोक (अ0सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उनके प्रतिपरीक्षण में अखिण्डत रहे है, जिसमें कोई तात्विक विरोधाभास बचाव पक्ष उत्पन्न करने में सफल नही हुआ है। बिल्क इसके विपरीत इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—5 में दिया गया बचाव पक्ष के द्वारा दिया गया यह सुझाव कि <u>"जब लडाई चल रही थी जब फूलचंद वहां मौजूद था"</u> अपने आप में यह दर्शित करते है कि स्वयं बचाव पक्ष को यह स्वीकार है कि मौके पर आरोपीगण ने फरियादी अवधबाई (अ0सा0—1) व अशोक (अ0सा0—2) से विवाद किया था।
- 09—यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सहित साक्षी अशोक लोधी (अ0सा0—2) ने हालांकि अपने कथनों में घटना का निश्चित दिनांक स्पष्ट नहीं किया है, जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह दोनों ही साक्षी ग्रामीण व्यक्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई घटना के दो तीन साल के बाद किसी ग्रामीण से यह उपेक्षा नहीं की जाती है कि वह घटना का निश्चित दिनांक या सन् बता सके। फरियादी अवधबाई (अ0सा0—1) व अशोक लोधी (अ0सा0—2) के कथन न्यायालय में वर्ष 2014 में हुये है तथा इन दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में कहना है कि घटना उनके कथन देने के दिनांक से दो वर्ष पूर्व की होकर दिन के 11:00 बजे की है। अपने आप में घटना दिनांक के अनुमान को सही साबित करने के लिये पर्याप्त है।
- 10— घटना के अन्य साक्षी के रूप में चंद्रभान (अ0सा0—3) व खिलन सिंह (अ0सा0—4) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये जिनमें से खिलन सिंह (अ0सा0—4) ने अपने कथनों में अभ्योजन का लेषमात्र

भी समर्थन नहीं किया तथा घटना की जानकारी होने से भी इन्कार किया है। अभियोजन कहानी के अनुसार चंद्रभान (अ०सा0—3) घटना का अनुश्रुत साक्षी है, जो कि मौके पर उपस्थित नहीं था, बल्कि उसकी मां ने घर पर आकर उसे घटना बताई थी, परन्तु इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं को प्रत्यादर्शी साक्षी बताते हुये, न्यायालय में कथन दिये है जबिक स्वयं अशोक लोधी (अ०सा0—2) व अवधबाई (अ०सा0—1) का अपने कथनों में कहना है कि चंद्रभान (अ०सा0—3) घटना के समय मौके पर नहीं था। अतः ऐसे में चंद्रभान (अ०सा0—3) के द्वारा दिये गये कथनों को प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि भले ही खिलन सिंह (अ०सा0—4) व चंद्रभान (अ०सा0—3) के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, परन्तु इस संबंध में स्पष्ट है कि घटना को प्रमाणित होने के लिये साक्षियों की संख्या के अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता देखी जानी है जिसके लिये एकल साक्षी की साक्ष्य ही पर्याप्त होती है।

- 11— फरियादी अवध बाई (अ०सा०—1) व अशोक लोधी (अ०सा०—2) ने अपने कथनों में घटना का स्थान शामलाती खिलहान में टैक्टर ले जाने से रोकने पर होना बताया है, जिससे स्पष्ट होता है कि घटना स्थल शामलाती खिलहान के पास की है। इस संबंध में अवध बाई (अ०सा०—1) व अशोक लोधी (अ०सा०—2) के द्वारा न्यायालय में घटना स्थल के संबंध में दिये गये कथनों की पुष्टि सेवानिवृत्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उप निरीक्षक अब्दुल हमीद (अ०सा०—5) के द्वारा विवेचना के कम में तैयार किये गये नक्शा मौका प्रदर्श—पी—2 में चिन्हित किये गये, घटना स्थल से होती है, जो कि अब्दुल हमीद (अ०सा०—5) के अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी की निशानदेही पर बनाये जाने की पुष्टि की है।
- 12—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तो प्रमाणित होता है कि फरियादी अवध बाई (अ०सा०—1) एवं अशोक (अ०सा०—2) के कथन देने के दिनांक से दो वर्ष पूर्व दिनं में 11:00 बजे फरियादी के द्वारा शामलाती खिलहान में टैक्टर ले जाने का लेकर आरोपीगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था और विवाद शामलाती खिलहान पर ही हुआ था। अवध बाई (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि झगड़े में अभियुक्त जबरा ने उसे सिर में कुल्हाड़ी मारी थी तथा गुड़ड़ी बाई ने भी उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। अवधबाई (अ०सा०—1) अपने प्रतिपरीक्षण में भी जबरा व गुड़ड़ी बाई के द्वारा उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन देती है तथा इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में भी कहना है कि जबरा ने उसे

कुल्हाडी मारी थी, जबिक गुडडी बाई ने उसे 10—15 डंडे मारे थे तथा वह मौके पर करोठा के बल गिर पडी थी तथा कुल्हाडी सिर में लगने से 20 टांके उसके आये थे।

- 13— फरियादी अवधबाई (अ०सा०—1) अपने उपरोक्त कथनों में जबरा के द्वारा कुल्हाडी से एवं गुडडीबाई द्वारा लाठी से मारपीट किया जाना बताती है, जबिक प्रकरण में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय में दिये गये कथनो में अवधबाई (अ०सा०—1) का कहना है कि अभियुक्त जबरा ने उसे डंडे से मारा था तथा गुडडी बाई ने उसे पटक दिया था। अभियोजन कहानी के अनुसार जबरा ने फरियादी अवधबाई (अ०सा०—1) के साथ न तो कुल्हाडी से मारपीट की और न ही अभियुक्त गुडडी बाई ने लाठी से कोई मारपीट की बिल्क अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त जबरा ने ही सिर में लाठी मारी थी।
- 14— फरियादी अवधबाई (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में जबरा के मारने पर सिर में चोट आने के संबंध में तो स्पष्ट रूप से कथन देती है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—7 में वह 20 टांके भी आना बताती है, परन्तु अवध बाई (अ०सा०—1) का यह कहना है कि अभियुक्त जबरा ने उसके साथ कुल्हाडी से मारपीट की थी तथा अभियुक्त गुडडी बाई ने लाठी से मारपीट की थीं, प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों के विपरीत होने से विरोधाभासी है, परन्तु फरियादी अवध बाई (अ०सा०—1) की साक्ष्य इस संबंध में अखण्डित है कि उसे घटना में सिर में चोट आई थीं।
- 15— अवधबाई (अ०सा0—1) के स्वयं कथनों में भले ही इस संबंध में विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में अवधबाई के सिर में जबरा ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया था अथवा नहीं, परन्तु उपरोक्त स्थिति साक्षी अशोक लोधी (अ०सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट करते हुये यह अखण्डित साक्ष्य दी है कि जबरा ने अवधबाई को सिर में दो लट्ठ मारे थे, जिससे वह गिर पड़ी थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में भी यह अखण्डित साक्ष्य दी है कि जबरा के डंडे मारने पर अवधबाई गिर गई थी तथा जबरा के द्वारा अवधबाई को डंडा मारने पर उसके पूरे कपड़े खून में लतपत हो गये थें।
- 16— अवधबाई (अ0सा0—1) का यह कहना है कि जबरा ने उसे कुल्हाडी से मारा था एवं गुडडी बाई ने उसे लाठी से मारा था, मात्र अतिश्योक्ति कथनों के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त कथनों के संबंध में गणितीय अनुमान

लगाना संभव नहीं है। अवध बाई (अ०सा०—1) के उपरोक्त कथनों को उसकी सामाजिक स्थिति आयु को दृष्टिगत रखते हुये भी देखे जाने है। अवध बाई (अ०सा०—1) वृद्ध अनपढ ग्रामीण महिला हैं, ऐसे क्षेत्र एवं स्थिति की महिलाओं में यह आम तौर पर देखा गया है, कि न्यायालय में उनके द्वारा घटना को गंभीर बताने के संबंध में बढा चढा कर कथन दिये जाते हैं, जबिक उन कथनों का वास्तविकता से कोई लेना नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में यदि अवध बाई (अ०सा०—1) के साथ अशोक (अ०सा०—2) के कथनों को संयुक्त रूप से देखा जाये, तो इन दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि उनके कथन देने के दो वर्ष पूर्व दिन में 11:00 बजे शामलाती खिलहान में टैक्टर ले जाने से रोकने पर अवधबाई (अ०सा०—1) के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थीं। जिसमें फिरयादिया के सिर में चोट आई थीं।

- 17— फरियादियां के सिर की चोट जबरा के द्वारा कुल्हाडी से न पहुचाई जाकर लाठी से पहुचाई गई थी, इस संबंध में भले ही अवधबाई (अ0सा0—1) के कथन अभियोजन का समर्थन न करते हो, परन्तु धटना के संबंध में अशोक लोधी (अ0सा0—2) ने इस संबंध में अभियोजन का पूरी तरह से समर्थन किया है कि जबरा ने घटना में दो लाठी फरियादी के सिर में मारी थी, जिसके लगने से उसके सिर में खून निकल आया था। अतः घटना में फरियादी अवधबाई (अ0सा0—1) को सिर में जबरा के द्वारा लाठी से प्रहार कर उपहित कारित की गई थी, इस संबंध में अभिलेख पर विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य उपलब्ध हैं।
- 18— फरियादिया के सिर में घटना में उपहित कारित हुई थी, इस बात की पुष्टि स्वयं चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान तैयार की गई रिपार्ट प्रदर्श—पी—7 के आधार पर करते हुये यह कथन दिये है कि चिकित्सीय परीक्षण में अवधबाई (अ0सा0—1) के सिर में दो जगह अग्र भाग पर कटे—फटे घाव जिनका आकार 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4 पाये थे, जो कि लाल रंग के थे, और साफ करने पर उनमें से ताजा खून निकल रहा था। अतः आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—6) के द्वारा तैयार की गई रिपार्ट प्रदर्श—पी—7 एवं न्यायालय में दिये गये कथनों से फरियादी अवधबाई (अ0सा0—1) व अशोक लोधी (अ0सा0—2) के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना में अवधबाई को सिर में अभियुक्त जबरा ने सिर में उपहित कारित की थी।

- 19— अवध बाई (अ०सा०—1) के सिर में परीक्षण के 12 घंटे के अंदर के दो कटे—फटे घाव अग्र भाग पर डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ०सा०—6) के द्वारा पाये गये थे, जिसके संबंध में हालांकि आर0 पी0 शर्मा (अ०सा०—6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सहमति दी है कि उक्त चोटे स्वः कारित हो सकती है एवं दरवाजे की नौक एवं दरवाजे से टकराने से एवं टॉली से फिसल कर टकरा जाने से आना सभंव है। डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ०सा०—6) के द्वारा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव पर दी गई सहमति इस बात का निश्चायक प्रमाण नही हो सकती है कि अवध बाई (अ०सा०—1) के चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोटें स्वः कारित है। उक्त स्थिति को संपूर्ण साक्ष्य के मूल्याकंन उपरांत देखने के उपरांत ही निर्धारित किया जा सकता है कि वास्तव में चोट स्वः कारित हो सकती है अथवा नही।
- 20— अवधबाई (अ०सा0—1) व अशोक लोधी (अ०सा0—2) की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डत है कि टैक्टर खिलहान में ले जाने से अभियुक्त जबरा के द्वारा उन्हें रोका गया तथा जबरा के साथ उस समय गुडडी बाई भी मौके पर मौजूद थी, जिनमें से अभियुक्त जबरा ने फिरयादी के सिर में घटना में विवाद होने पर उपहित कारित की थी। फिरयादी के द्वारा घटना के बाद 15 किलोमीटर दूर थाने पर जाकर घटना दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई तथा चिकित्सीय परीक्षण में भी फिरयादी के सिर में दो कटे—फटे घाव की चोट परीक्षण के 12 घंटे के अंदर आने का अभिमत डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ०सा0—6) ने अपने कथनों में दिया है।
- 21— अतः एक वृद्ध महिला अकारण सिर में चोट आने के बाद भी एवं खून निकलने पर 15 किलोमीटर दूर थाने पर जाकर अपने ही परिवार के देवर देवरानी के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों करेगी इसका कोई संतोषजनक प्रतिरक्षा अभिलेख पर नही है। जिससे इस संबंध में लेषमात्र भी संदेह नही रह जाता है कि चिकित्सीय परीक्षण में अवधबाई के सिर में पाई गई दो कटे और फटे घाव की चोट अभियुक्त जबरा द्वारा ही लाठी से कारित की गई थी और उस समय गुडडी बाई की मौके पर उपस्थिति इस घटना को कारित करने में उसकी सहमति एवं उपहति कारित करने का उसका सामान्य आशय दर्शित करती है।
- 22—बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताा का तर्क है कि लाठी से कारित की गई उपहति भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में नही आती है जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि भा0द0वि0 की धारा 324 के अनुसार

"असन" "बेधन" एवं "काटने के उपकरण" के अलावा यदि किसी ऐसे उपकरण से जो आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाये जो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, से भी उपहित कारित की जाती है, तो ऐसी उपहित भा0दं0वि0 की धारा 324 की परिधि में आयेगी, क्योंकि उपहित कारित करने में ऐसे उपकरण का उपयोग किया गया, जो कि यदि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाये तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है।

- 23—घटना में प्रयुक्त लाठी उक्त आक्रमक आयुद्ध की श्रेणी में आती है अथवा नही। इसके लिये लाठी का आकार प्रकार के साथ यह भी देखा जाना है कि उपहित शरीर के किस भाग पर कारित की गई। अशोक लोधी (अ0सा0—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्पष्ट रूप से घटना में प्रयुक्त डंडा 3 फीट व हाथ के बराबर मोटा होना बताया है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी अब्दुल हमीद (अ0सा0—5) के द्वारा अभियुक्त जबरा से बांस का डंडा जिसमे पांच गांठ हैं, जप्त किया जाना बताया हैं, जिसको बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई। घटना में उक्त बांस के डंडे का प्रयोग फरियादी के सिर पर दो बार किया गया है जो निश्चित रूप से डंडे के आकार और प्रकार को देखते हुये यदि तीव्रता से किया जाता तो उसके अन्य गंभीर परिणाम हो सकते थे। अतः ऐसे में जबरा के द्वारा घटना प्रयोग की लाठी एवं उससे कारित की गई उपहित भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में आक्रमक आयुद्ध से कारित की गई उपहित की श्रेणी में आयेगी।
- 24—जहां तक घटना में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को दी गई गाली गलौच का प्रश्न है तो इस संबंध में अवधबाई (अ0सा0—1) अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नही दिये है। वही अशोक लोधी (अ0सा0—2) का अपने कथनों की कण्डिका—2 में मात्र यह कहना है कि आरोपीगण मात्र गाली—गलौच दे रहे थे। आरोपीगण ने कौन सी गालिया दी तथा वास्तव में उक्त गालिया लोक स्थान पर दी गई या उसे सुनने से किसी को क्षोभ कारित हुआ, इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को लोक स्थान पर मां—बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।
- 25—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन भले ही यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नही हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक—17.10.2012 को समय 11:00 बजे ग्राम हसारी

फरियादिया अवधबाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादिया अवध बाई को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी जो कि आक्रमक आयुद्ध के तौर पर उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 26— फलतः अभियुक्तगण जबरा लोधी पुत्र मन्ते लोधी, गुड्डी बाई पत्नी जबरा को आहत अवधबाई को कारित हुयी स्वेच्छया उपहित के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 324 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्त जबरा लोधी पुत्र मन्ते लोधी, गुड्डी बाई पत्नी जबरा पर भा0द0वि0 की धारा 294 के आरोप प्रमाणित न होने से उक्त धारा के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 27— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

28— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुये है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।

- 29— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में फरियादिया अवधबाई व अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं तथा अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रकरण में संलग्न नही है दोनो पक्षो के मध्य शामलाती संपत्ति विवाद का कारण हैं दर्शित होती है, जिसको देखते हुये एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये। अभियुक्त जबरा लोधी पुत्र मन्ते लोधी को भाठदंठविठ की धारा 324 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त को 01 माह (एक माह) के साधारण कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का भाठदंठविठ की धारा 324/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त को 01 माह (एक माह) के साधारण कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का आरोप अभियुक्त को 01 माह (एक माह) के साधारण कारावास एवं 500/— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।
- 30— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)